सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 66/2017

1. गुड्डी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सावंतसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
2. हिस्सेदार काश्तकार चक 39 पीएस तहसील राायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक 573–74 दिनांक 26.03.2003 जिसकी रूह से गलत व यकतरफा तौर चक दूलरासर बारानी तहसील रायसिंहनगर में रास्ता स्वीकृत करते समय अपीलांटा के खातेदारी रकबा चक दूलरासर बारानी के मु.न. 53, प0न0 266/315 के किला नम्बर 1 ता 5 में से गलत व यकरतफा तौर पर रास्ता स्वीकृत करने का आदेशा रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के प्रार्थना पत्र धारा 8(2) कॉलोनी कंडीशन बिना अधिकार पारित किया गया बमुराद मनसूसिखयां।

उपस्थित :

1.श्री अमनदीप सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी

:: आदेश :: **दिनांक :– 24.01.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांटा को कोई शौकाज नोटिस दिया गया ना ही आपति सूचना प्रेषित की गई ना किसी नोटिस की किसी प्रकार से तामील अपीलांटा पर हुई ना कोई आपति सूचना किसी समाचार–पत्र में प्रकाशित की गई। इस प्रकार आदेश अधीनस्थ न्यायालय गलत व यकतरफा होने न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। आदेश जेर अपील पारित से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पत्रावली कायम की तथा ना ही कानूनी अथवा विधिक प्रकिया अपनायी गई बल्कि केवल मात्र रेस्पो0 सख्या 02 के निवेदन पर ही बिना पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिये बिना नक्शा मंगवाये व अवलोकन किये ही आदेश पारित किया गया है तथा आदेश जेर अपील में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है किस काश्तकार को किस मुरब्बा में किस मुरब्बा के लिए रास्ता की आवश्यकता है। अतः आदेश जेर अपील हर प्रकार से निरस्तनीय है। अपीलांटा की भूमि मु0न0 53 में से किसी काश्तकार को रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं रही तथा ना ही रास्ता आज तक चालू हुआ है, यदि आवश्यकता होती तो रास्ता चलाया जाता तथा अपीलांटा को भी तरुन्त रास्ता स्वीकृति के आदेश आदि की जानकारी होती। रास्ता स्वीकृत करने का केवलमात्र धारा 8(2) कॉलोनी कंडीशन में ही प्रावधान था तथा **तहसीलदार को धारा 8(2) कॉलोनी कंडीशन में रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार ही ना होने से आदेश जेर अपील निरस्तनीय है क्योंकि धारा 8(2) कॉलोनी के अधिकार केवल उपखण्ड अधिकारी में निहित करते है।** अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कही यह स्पष्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नहीं है कि चक 39 पीएस के किसी काश्तकार को चक दूलरासर बारानी के किस किस रकबा में तथा किस किस काश्तकार की भूमि में से रास्ता की आवश्यकता है तथा ना ही यह अंकित किया है कि जिन काश्तकारों की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाना है उनको कब किस तारीख को नोटिस जारी किया गया कब उन पर नोटिस की तामील हुई तथा कब उनको सुना गया तथा किस किस की भूमि के लिए क्या मुआवजा तय किया। इस प्रकार के अभाव में भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांटा ने कभी अपने रकबा में से रास्ता के लिए सहमति नहीं दी तथा ना ही उसको कोई मुआवजा दिया। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें तथा अपीलांटा को सुनकर कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांटा को कोई शौकाज नोटिस दिया गया ना ही आपति सूचना प्रेषित की गई ना किसी नोटिस की किसी प्रकार से तामील अपीलांटा पर हुई ना कोई आपति सूचना किसी समाचार–पत्र में प्रकाशित की गई। इस प्रकार आदेश अधीनस्थ न्यायालय गलत व यकतरफा होने न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। आदेश जेर अपील पारित से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पत्रावली कायम की तथा ना ही कानूनी अथवा विधिक प्रकिया अपनायी गई बल्कि केवल मात्र रेस्पो0 सख्या 02 के निवेदन पर ही बिना पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिये बिना नक्शा मंगवाये व अवलोकन किये ही आदेश पारित किया गया है तथा आदेश जेर अपील में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है किस काश्तकार को किस मुरब्बा में किस मुरब्बा के लिए रास्ता की आवश्यकता है। अतः आदेश जेर अपील हर प्रकार से निरस्तनीय है। अपीलांटा की भूमि मु0न0 53 में से किसी काश्तकार को रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं रही तथा ना ही रास्ता आज तक चालू हुआ है, यदि आवश्यकता होती तो रास्ता चलाया जाता तथा अपीलांटा को भी तरुन्त रास्ता स्वीकृति के आदेश आदि की जानकारी होती। रास्ता स्वीकृत करने का केवलमात्र धारा 8(2) कॉलोनी कंडीशन में ही प्रावधान था तथा तहसीलदार को धारा 8(2) कॉलोनी कंडीशन में रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार ही ना होने से आदेश जेर अपील निरस्तनीय है क्योंकि धारा 8(2) कॉलोनी के अधिकार केवल उपखण्ड अधिकारी में निहित करते है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कही यह स्पष्ट नहीं है कि चक 39 पीएस के किसी काश्तकार को चक दूलरासर बारानी के किस किस रकबा में तथा किस किस काश्तकार की भूमि में से रास्ता की आवश्यकता है तथा ना ही यह अंकित किया है कि जिन काश्तकारों की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाना है उनको कब किस तारीख को नोटिस जारी किया गया कब उन पर नोटिस की तामील हुई तथा कब उनको सुना गया तथा किस किस की भूमि के लिए क्या मुआवजा तय किया। इस प्रकार के अभाव में भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांटा ने कभी अपने रकबा में से रास्ता के लिए सहमति नहीं दी तथा ना ही उसको कोई मुआवजा दिया। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें तथा अपीलांटा को सुनकर कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अपील तहसीलदार के आदेश क्रमांकः–राजस्व/573–74 दिनांक 26.03.2003 के विरूद्व प्रस्तुत किया जाना अपील मीमो में केवल अंकित किया है। जबकि तहसीलदार का ऐसा कोई आदेश इस नामान्तरकरण की स्वीकृति के लिए दिया जाना रिकॉर्ड पर नहीं है बल्कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा अपने आदेश क्रमांकः–राजस्व/ 573–74 दिनांक 26.03.2003 की पालना में रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपील मीमो में अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि '' **तहसीलदार को धारा 8(2) कॉलोनी कंडीशन में रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार ही ना होने से आदेश जेर अपील निरस्तनीय है क्योंकि धारा 8(2) कॉलोनी के अधिकार केवल उपखण्ड अधिकारी में निहित करते है''।** उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निष्प्रभावी होने से अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/19

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर